FORM NO. 111

फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मु0 रींगस (सीकर)

उनवान मंजूदेवी बनाम मीनादेवी वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा मुकदमा नं. 230 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11.09.2025	प्रार्थी की ओर से वकील श्री भंवरसिंह बिजारनियां ने प्रा0 पत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्वेश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बिन्दु वकील प्रार्थी को सुना गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र की प्रकृति एंव आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभय पक्षकारान को आगामी आदेश तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम ~~पालावाली पटवार हल्का~~ शाहपुरा पटवार हल्का ठीकरिया तहसील रींगस जिला सीकर राज0 के भूमि ख0न0 1040/755 रकबा 1.4361 है0 के मौके की यथास्थिति बनाए रखें। विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें। उक्त अन्तरिम टी.आई. आदेश हकत्याग /सीमाज्ञान/ पत्थरगढी/ नामान्तकरण खुलवानें के विधिक आदेश की पालना में एव [illegible] खुलवानें व नवीन रास्ता चाहने के आदेश [illegible] विद्युत लाईन डालने, न्यायालय में विचाराधीन [illegible]–रोड़ा व अन्य	1701 to 1704 12/9/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.12.30 16:40:13 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय वसूली के प्रकरण में व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के क्रम में लागू नही होगी।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षिय सुनवायी के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी पर विस्तारित करनें से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एंवम अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये 07.10.2025 को पेश करे।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस सीकर

25/09/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रणवा के हाजिर आये। [illegible] तामील नहीं किया है [illegible] नियत पेशी [illegible] किया [illegible] किया जाता है। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2025.12.30 16:40:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)